

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 236/2022

तमाचीखां पुत्र दुल्लाखां, गांव भंवरीसर, तहसील शिव, जिला बाडमेर, मो0न0 9530481692
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

— —
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 20.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 236/2022 पर दिनांक 01.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2972-73 दिनांक 01.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/305 दिनांक 11.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/762 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंगन शुल्क राशि 100/- पोस्टल ऑर्डर 54 एच 237770 दिनांक 02.01.2021 को जारी किया हुआ प्रार्थना पत्र के सलंगन किया जो 1 वर्ष से अधिक पुराना होने से पोस्टल ऑर्डर की राशि का भुगतान भारतीय डाक विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता है जिसके कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में आवेदन शुल्क के अभाव में प्रार्थना पत्र निरस्त कर प्रार्थी को पंजीबद्ध डाक से उनके प्रार्थना पत्र में अंकित पते पर भिजवा दिया गया है। अतः आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ पत्रांक सू0अ0अ0/2022/305 दिनांक 11.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम में उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/762 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंगन शुल्क राशि 100/- पोस्टल ऑर्डर 54 एच 237770 दिनांक 02.01.2021 को जारी किया हुआ प्रार्थना पत्र के सलंगन किया जो 1 वर्ष से अधिक पुराना होने से पोस्टल ऑर्डर की राशि का भुगतान भारतीय डाक विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता है जिसके कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में आवेदन शुल्क के अभाव में प्रार्थना पत्र निरस्त कर प्रार्थी को पंजीबद्ध डाक से उनके प्रार्थना पत्र में अंकित पते पर भिजवा दिया गया है। अतः आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निजी जीवन से संबंधित है एवं अपीलार्थी द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत पोस्टल आर्डर 1 साल से अधिक पुराना है जिसका भुगतान भारतीय डाक विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लक्ष्मण सिंह कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू